# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

ब-इजलासः- पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्यांक :- 122/2019

जगदीश लाल पुत्र साहिबदित्ता जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, रामदेव मंदिर के पीछे, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

--वादी

**बनाम्**

1. देशराज पुत्र मनसाराम जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी 79, समता नगर, जनरल रोड़वेज बस स्टैण्ड के नजदीक, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर (राज.)।
2. मुकन्दलाल पुत्र श्री मनसाराम जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
3. शकुन्तला देवी पुत्री बालकिशन पत्नी ओमप्रकाश बतरा निवासी 226 मुकर्जीनगर, दुर्गा मंदिर के पास, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज.)।
4. जुगल किशोर पुत्र बालकिशन जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, गिन्नानी के पास, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
5. डोगरदास पुत्र बालकिशन जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी नगरपालिका कुएँ के पास दक्षिण दिशा में, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
6. रमेश कुमार पुत्र बालकिशन जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, गिन्नानी के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
7. सुमनरानी पुत्री फतेहचन्द पत्नी गिरधारी लाल तनेजा जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर तहसील करणपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)।
8. इशु पुत्री फतेहचन्द पत्नी सुभाषचन्द चलाना निवासी सिन्धी मोहल्ला, दुर्गा मंदिर के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
9. हरिप्रकाश पुत्र रामचन्द जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, वाल्मिकी मोहल्ला, गिन्नानी के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
10. रविप्रकाश पुत्र रामचन्द जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, वाल्मिकी मोहल्ला, गिन्नानी के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
11. राजकुमार पुत्र रामचन्द जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, वाल्मिकी मोहल्ला, गिन्नानी के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
12. सुमित्रा देवी पुत्री रामचन्द पत्नी श्यामसुन्दर रावल जाति अरोड़ा निवासी एल ब्लॉक, हनुमान मंदिर के पास, श्री गंगानगर (राज.)।
13. तहसीलदार (राजस्व एवम् भू0अ0), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
14. राजकुमार पुत्र हंसराज जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, गिन्नानी के पास, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
15. संदीप कुमार हंसराज जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. [illegible] के पास, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
16. मुकेश कुमार पुत्र हंसराज जाति अरोड़ा (गखड़) निवासी वार्ड नं. 18, [illegible] के पास, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)।
17. सुनीता पुत्री हंसराज पत्नी नरेश कुमार असीजा जाति अरोड़ा निवासी [illegible]सर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. शकुन्तला पुत्री साहिबदिता पत्नी जगदीशलाल तनेजा जाति अरोड़ा निवासी 89 बी ब्लॉक, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

19. सुमित्रा पुत्री साहिबदिता पत्नी किशोरचन्द जसूजा जाति अरोड़ा निवासी 31 जनता कॉलोनी, अशोकनगर (बी), मौसम विभाग के सामने वाली गली, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज.)।
20. राजरानी पुत्री साहिबदिता पत्नी गणेश कुमार जुनेजा जाति अरोड़ा निवासी गली नं. 8, इन्द्रा कॉलोनी, नजदीक दुर्गा मंदिर, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर
21. रमेश कुमार पुत्र करतारी पुत्री साहिबदिता पत्नी भगवानदास रावल जाति अरोड़ा निवासी 44, एल ब्लॉक, हनुमान मंदिर के पास, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर (राज.)।
22. कैलाश कुमारी पुत्री करतारी पुत्री साहिबदिता पत्नी भगवानदास रावल जाति अरोड़ा निवासी 44, एल ब्लॉक, हनुमान मंदिर के पास, श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर।
23. पंकज कुमार पुत्र करतारी पुत्री साहिबदिता पत्नी भगवानदास रावल जाति अरोड़ा निवासी 44, एल ब्लॉक, हनुमान मंदिर के पास, श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर।
24. राजरानी पुत्री करतारी पुत्री साहिबदिता पत्नी भगवानदास रावल जाति अरोड़ा निवासी 44, एल ब्लॉक, हनुमान मंदिर के पास, श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर। --प्रतिवादीगण

## वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**::निर्णय::** **दिनांकः 25.8.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी जगदीश लाल ने न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा का पेश कर अभिवचन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं 3 से 12, 18 से 20 के दादा, प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 14 से 17 के परदादा, प्रतिवादी सं. 21 से 24 के परनाना मन्शाराम पुत्र अरजानीराम जाति अरोड़ा निवासी अनूपगढ़ के नाम से तहसील अनूपगढ़ के वाके चक नं. 86 जी.बी.'ए' तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 10 (जो वर्तमान में मुरब्बा नं. 5 हैक्टर), पत्थर नं. 280/418 के किला नं. 11, 12, 13, 16 ता 19, 20, 21 का कुल 08.05 बीघा यानि 2.0880 हैक्टर दर्ज कागजात है। वादी के दादा श्री मन्शाराम का स्वर्गवास हो चुका है, उक्त स्व. मन्शाराम के 6 पुत्र व 1 पुत्री कुल 7 वारिस वारिस निम्न हैं- प्रतिवादी सं. 1 देशराम, प्रतिवादी सं. 2 मुकन्दलाल, साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता (वादी एवं प्रतिवादी सं. 18 से 20 के पिता, प्रतिवादी सं. 14 से 17 के दादा, प्रतिवादी सं.21 ता 24 के नाना), बालकिशन (प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के पिता), फतेहचन्द (प्रतिवादी सं. 7 से 8 के पिता), रामचन्द (प्रतिवादी सं. 9 से 12 के पिता) एवं रामदित्ती है।मन्शाराम के वारिसों में से साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता, बालकिशन, फतेहचन्द, रामचन्द, रामदित्ती पिसरान मन्शाराम का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त रामदित्ती एवं उसके पति खानचन्द का लाऔलाद देहान्त हो गया है, रामदिती के कोई पुत्र/पुत्री नहीं है। हिन्दू विधि के अनुसार निर्वसीयत मरने वाली हिन्दू नारी की कोई सम्पत्ति अपने माता-पिता से प्राप्त होती है, मृतक नारी के पुत्र/पुत्री के अभाव में पिता के वारिसों को न्यायगत होगी। मृतक साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पुत्र मन्शाराम के विधिक वारिस वादी जगदीशलाल, प्रतिवादी सं. 17 शकुन्तला, प्रतिवादी सं. 18 सुमित्रा, प्रतिवादी सं. 19 राजरानी एवं हंसराज (प्रतिवादी सं. 14 से 17 के पिता), करतार देवी उर्फ करतारी (प्रतिवादी सं. 20 ता 24 की माता) है। प्रतिवादी सं. 14 से 16 के पिता हंसराज का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादी सं. [illegible] माता करतार देवी उर्फ करतारी का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। मृतक बालकिशन के विधिक वारिस [illegible] प्रतिवादी सं. 3 से 6, मृतक फतेहचन्द पुत्र मन्शाराम के विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 7 व 8 [illegible] मन्शाराम के विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 9 से 12 हैं।

वादी के दादा श्री मन्शाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी राजीखुशी बिना [illegible] नशा पता के स्वेच्छया अपनी उक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि वाके चक नं. 86 जी.बी.'ए' तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 10 पत्थर नं. 280/418 का किला नं. 11 का 18 विस्वा, किला नं. 12 सालम, किला नं. 13 का 11 विस्वा, किला नं. 16 सालम, किला नं. 17 सालम, किला नं. 16 सालम, किला नं. 19 सालम, किला नं. 20 का 18 विस्वा, किला नं. 21 का 18 विस्वा कुल 8 बीघा 05 विस्वा कृषि भूमि (जो वर्तमान में चक नं. 86 जी.बी.'ए' तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

अनूपगढ़ का मुररब्बा नं. 05 पत्थर नं. 280/418 का किला नं 11/1 का 0.228 हैक्टर, किला नं. 12 का 0.253 हैक्टर, किला नं. 13/1 का 0.139 हैक्टर, किला नं. 16 से 19 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, 20/1 में 0.228 हैक्टर, किला नं. 21/1 का 0.228 हैक्टर कुल 2.0880 हैक्टर के रूप में है ) जरिये तमलीकनामा दिनांक 23.4.1966 पंजीयन दिनांक 13.5.1966 के दे दी। विवादित कृषि भूमि वादी के पिता साहिबदिताराम के पक्ष में तमलीक करने के संबंध में वादी के दादा श्री मन्शरामा अपनी राजीखुशी व होश हवाश में स्वेच्छया तमलीकनामा दिनांक 23.4.66 को अपनी राजीखुशी से पूर्ण होश हवाश में बरोबरू विधिवत तहरीर, तकमील, निष्पादित किया तथा उसी रोज दिनांक 23.4.1966 को उक्त तमलीकनामा पंजीयन हेतु उप पंजीयक, अनूपगढ़ के समक्ष पंजीयन हेतु पेश किया जो कि दिनांक 13.5.1966 को पंजीबद्धहुआ। उक्त दस्तावेज तमलीकनामा 30 वर्ष से अधिक पुराना है जो आजीवन वादी के पिता एवं उनके देहान्त के उपरांत वादी की उचित अभिरक्षा में है और उक्त दस्तावेज तमलीकनामा सम्यक् रूप निष्पादित एवं अनुप्रमाणित दस्तावेज है इस दस्तावेज तकलीकनामा के बारे में यह उपधारणा है कि दस्तावेज तमलीकनामा एवं उस पर अंकित हस्ताक्षर एवं उसका हर अन्य भाग सम्यक् रूप से निष्पादित एवं अनुप्रमाणित है। उक्त तमलीकनामा दिनांक 23.4.1966 पंजीयन दिनांक 23.5.1966 में वादी के दादा ने वादी के पिता को लिखकर दिया कि यह आराजी पहले से ही मेरे लड़के साहबदिताराम के कब्जे में है और उसी के कब्जा में रहेगा। आराजी तकलीकशुदा 8 बीघा 5 विस्वा पर आज वा आज से पहले जिस प्रकार हक हकूक मुझको थे वह तमाम व कमाल मेरे लड़के साहबदिताराम को रहेगें। मुझे तमलीकनामा कैन्सल कराने का हक नहीं होगा, आराजी हर प्रकार के ऋण भार से मुक्त है, आदि-आदि। तमलीकशुदा उक्त आराजी पर वादी के पिता श्री साहिबदिताराम का आजीवन कब्जा काश्त रहा तथा उनके देहान्त के उपरांत आज तक निरन्तर साहिबदिताराम के वारिसों का कब्जा काश्त चला आ रहा है व मौका पर फसल बीजान्द है और तमलीकशुदा आराजी का राजस्व कर, सिंचाई कर आजीवन वादी के पिता एवं तदुपरांत उसके वारिस अदा कर रहे हैं। पानी पर्ची, सिंचाई कर, राजस्व कर की रसीदात की फोटो प्रतियाँ सलंग्न हैं। उक्त दस्तावेज तमलीकनामा वादी के दादा श्री साहबदिताराम के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत कर आराजी तमलीक में देने एवं तमलीकनामा के आधार पर तमलीकनामा के रोज से वादी के पिता साहिबदिताराम का बतौर मालिक व टीनेन्ट के काबिज काश्त होने इल्म वादी के दादा मन्शाराम के सभी वारिसों को आंरभ से ही है तथा उन्होंने कभी कोई उज्र या एतराज तमलीकनामा के सबंध में वादी के दादा के जीवनकाल में एवं उनके उपरांत नहीं किया। उक्त तमलीकनामा के आधार पर तमलीकनामा के रोज से वादी के पिता आजीवन तथा उनके देहान्त के उपरांत साहिबदिताराम के वारिस बतौर मालिक एवं टीनेन्ट के काबिज काश्त हैं और तमलीकनामा के आधार पर तमलीकशुदा 8 बीघा 05 विस्वा आराजी के हक हकूक वादी के पिता में एवं उनके देहान्त के उपरांत पिता के अधिकार के तहत उनके वारिसों में निहित हो चुके हैं। तमलीकनामा पर अमल करके वादी के पिता माह अप्रैल 1966 से वादी के दादा मन्शाराम एवं मन्शाराम के अन्य वारिसों के अधिकारों, हक हकूक से एलानिया इंकार करते हुए और तमलीकशुदा आराजी को अपनी मानते हुए इस तमलीकशुदा आराजी को आजीवन खुद तथा उनके देहान्त के उपरांत साहबदिताराम के वारिस काबिज काश्त चले आ रह हैं और इस भूमि का देय कर सरकार को अदा करते चले आ रहे हैं। प्रतिकूल कब्जा व कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी साहिबदिता के वारिसों वादी व अन्य का कब्जा संवंधी हक व अधिकार परिपक्व हो चुका है। वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में तथा उनके देहान्त के उपरांत वादी व अन्य वारिसों ने संबंधित राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों तहसीलदार अनूपगढ़ से सम्पर्क कर बार-बार निवेदन किया कि तमलीकनामा के आधार पर एवं वादी [illegible] साहिबदिताराम [illegible] वारिसों के मालिकी टीनेन्सी अधिकारों को स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं नामान्तरण [illegible] जावे [illegible] वे हमेशा शीघ्र ही ऐसा करने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे और [illegible] प्रतिवादी सं. 13 तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ ऐसा करने से स्पष्ट [illegible] वादीगण संख्या 1 से 12 से अर्सा दस रोज पूर्व सम्पर्क कर आग्रह किया कि तमलीकनामा के आधार पर [illegible] वादी एवं साहिबदिताराम के अन्य वारिसों के मालिकी टीनेन्सी अधिकारों को स्वीकार कर वादाधीन भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं साहिबदिताराम के अन्य वारिसों के नाम अमलदरामद करवाने एवं नामान्तरण करवाने में सहयोग करें तो वे ऐसा करने स्पष्ट इंकार हो गए। प्रतिवादी सं. 14 से 24 वादी के पिता साहिबदिताराम के वारिस हैं जिनका विवादित तमलीकशुदा आराजी में हक निहित है इसलिए वे प्रकरण में पक्षकार मुकद्मा है अतः वाद डिक्री फरमाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी सं. 14 से 24 को विवादित कृषि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जावे एंव इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता अनिल गखड़ उपस्थित आए तथा जवाब इकबाल-दावा पेश कर वाद के अभिवचनों को स्वीकार कर वाद डिक्री करने पर कोई उज्र व एतराज नहीं होने का अभिवचन किया। प्रतिवादी सं. 3 से 15, 17 से 24 बावजूद नोटिस तामिल के न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए, प्रतिवादी सं. 16 दिनांक 27.1.2020 को स्वयं उपस्थित आया लेकिन बाद में अनुपस्थित रहा। प्रतिवादी संख्या 3 से 24 ने न ही, असालतन/वकालतन कोई जवाब प्रस्तुत किया। फलतः प्रतिवादी संख्या 3 से 24 के विरूद्ध दिनांक 2.8.21 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी द्वारा वाद-पत्र के समर्थन में पी.डब्ल्यू.-1 जगदीशलाल (स्वयं वादी) एवं पी.डब्ल्यू.-2 इशर सिंह के बयान लेखबद्ध करवाए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-1 से प्रदर्श-45 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। प्रकरण में किसी प्रतिपक्षी द्वारा वादी के वाद एवं अभिवचनों/साक्ष्य का कोई विरोध या खण्डन नहीं किया। पत्रावली में विवादित बिन्दू नहीं है तथा पत्रावली में अन्य कोई न्यायिक पक्ष शेष नही है। वादी ने भली-भाँती अपने वाद एवं अभिवचनों को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। तमलीकनामा दिनांक 23.4.1966 पंजीयन दिनांक 13.5.1966 के आधार पर विवादित कृषि भूमि के खातेदार अधिकार वादी के पिता साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता में निहित हो चुके है तथा चूंकि वादी के पिता साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता का देहान्त होने कारण विवादित कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 से 24 में विरास्तन न्यायगत हो चुके हैं और वादाधीन कृषि भूमि तमलीकनामा के रोज से आजीवन उक्त वादाधीन कृषि भूमि पर वादी के पिता साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता तथा उनके देहान्त के उपरांत उसके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 24 वारिस होने के नाते स्वामित्व, मालिकाना हक, कब्जा काश्त प्रमाणित है। वाद वादी स्वीकार होने एवं डिक्री योग्य है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 से 24 को उनके विरास्तन हक एवं हिस्सानुसार खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

**::आदेश ::**

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर चक नं. 86 जी.बी.'ए' तहसील अनूपगढ़ का वर्तमान मुरब्बा नं. 5 (पुराना मुरब्बा नं. 10), पत्थर नं. 280/418 के किला नं. 11, 12, 13, 16 ता 19, 20, 21 का कुल 08.05 बीघा यानि 2.0880 हैक्टर का वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर उक्त कृषि भूमि में से वादी जगदीशलाल पुत्र साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता के नाम से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 से 17 राजकुमार, संदीप कुमार, मुकेश कुमार, सुनीता पिसरान हंसराज के नाम से 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर, प्रतिवादी सं. 18 शकुन्तला पुत्री साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पत्नी जगदीशलाल तनेजा के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 सुमित्रा पुत्री साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पत्नी किशोरचन्द जसूजा के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 राजरानी पुत्री साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पत्नी गणेश कुमार के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 क्रमशः रमेश कुमार, कैलाश कुमारी, पंकज कुमार, राज रानी पिसरान करतार देवी उर्फ करतारी पत्नी भगवानदास के नाम से 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर भूमि बतौर खातेदार टीनेन्ट राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 13 को अनूपगढ़ को दिया जाता है। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:32:35 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अनूपगढ़**

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 में नियम 6 और 7)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

ब-इजलास- श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

**अनवान**

**जगदीश लाल बनामू देशराज आदि**

अन्तर्गत धाराः- 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण सं.:-122/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू पक्षकारान बहाजरी वादी एवं प्रतिवादीगण में निम्नलिखित प्रकार पर्चा डिक्री किया जाता है-

चक नं. 86 जी.बी.'ए' तहसील अनूपगढ़ का वर्तमान मुरब्बा नं. 5 (पुराना मुरब्बा नं. 10), पत्थर नं. 280/418 के किला नं. 11, 12, 13, 16 ता 19, 20, 21 का कुल 08.05 बीघा यानि 2.0880 हैक्टर का वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाकर उक्त कृषि भूमि में से वादी जगदीशलाल पुत्र साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता के नाम से 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 से 17 राजकुमार, संदीप कुमार, मुकेश कुमार, सुनीता पिसरान हंसराज के नाम से 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर, प्रतिवादी सं. 18 शकुन्तला पुत्री साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पत्नी जगदीशलाल तनेजा के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 सुमित्रा पुत्री साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पत्नी किशोरचन्द जसूजा के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 20 राजरानी पुत्री साहिबदिता राम उर्फ साहिबदिता पत्नी गणेश कुमार के नाम से 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 क्रमशः रमेश कुमार, कैलाश कुमारी, पंकज कुमार, राज रानी पिसरान करतार देवी उर्फ करतारी पत्नी भगवानदास के नाम से 1/6 हिस्सा ब.हि.बराबर भूमि बतौर खातेदार टीनेन्ट राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार, अनूपगढ़ को दिया जाता है।

यह आज तारीख 25/08/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पवन कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी**
**अनूपगढ़**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. .....रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका का तामील | रुपया | 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. .....रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका का तामील | रुपया |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.10.11 12:42:35 IST
Reason: SelfAttested